

कार्यालय, प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ०प्र०-243601

आदेश सं०- 574/रा०मे०का०ब०/2025

दिनांक- 25/7/25

:-प्रमाण पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-2240/71-3-10-328/91, दिनांक-20 अगस्त, 2010 में दिये निर्देशानुसार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में स्नातकोत्तर छात्रों की वर्षवार शुल्क निम्नवत् लिया जाता है-

क्र० सं०	वर्ष	शुल्क का विवरण	शुल्क की धनराशि
01	प्रथम वर्ष	शिक्षण शुल्क	रु० 24000-प्रतिवर्ष (अनारक्षित) रु०-12000/- (ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षित)
		अन्य शुल्क	रु० 4000/- प्रतिवर्ष
		विकास शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
		प्रवेश शुल्क	रु० 2000/- केवल प्रवेश के समय
		काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रु० 10000/- केवल प्रवेश के समय
		छात्रावास शुल्क	नि: शुल्क
		विद्युत शुल्क	रु० 500/- प्रतिमाह
02	द्वितीय वर्ष	शिक्षण शुल्क	रु० 24000-प्रतिवर्ष (अनारक्षित) रु०-12000/- (ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षित)
		अन्य शुल्क	रु० 4000/- प्रतिवर्ष
		विकास शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
		छात्रावास शुल्क	नि: शुल्क
		विद्युत शुल्क	रु० 500/- प्रतिमाह
03	तृतीय वर्ष	शिक्षण शुल्क	रु० 24000-प्रतिवर्ष (अनारक्षित) रु०-12000/- (ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षित)
		अन्य शुल्क	रु० 4000/- प्रतिवर्ष
		विकास शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
		छात्रावास शुल्क	नि: शुल्क
		विद्युत शुल्क	रु० 500/- प्रतिमाह



प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।